# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ।।।/विविध/मुरैना/भू0रा0/2017/2401

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि. 28/7/17 को प्रस्तुत

कलर्क ऑफ कोर्ट 28.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वासुदेव ....... आवेदक

बनाम

1—औमप्रकाश

2—नरेशचन्द गुप्ता तहसीलदार महोदय मुरैना

3—म0प्र0 शासन

......................अनावेदक

## आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 29 म0प्र0भू0रा0 संहिता

श्रीमान जी

आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है—

1— यह कि यह कि ग्राम जेवराखेडा तह0 मुरैना के कृषि भूमि सर्वे क0 395/1 रकवा 0.760 है0 सर्वे क0 397/1 रकवा 0.740 है0, सर्वे क0 409 रकवा 0.620 है0, सर्वे क0 828/1 रकवा 0.490 है0, कुल किता 4 रकवा 2.610 है0 के आवेदक व अनावेदक सह स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2— यह कि अनावेदक के द्वारा उपरोक्त भूमियों के बटबारा हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्र0क0 02/16—17Xअ/27 पर पंजीबद्व किया जाकर विचाराधीन है।

3— यह कि प्रकरण में प्रस्तुत फर्द बटबारा पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जो दिनांक 19/07/2017 को निरस्त कर प्रकरण तर्क हेतु दिनांक 27/07/2017 को नियत कर दिया। जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जो विचाराधीन है।

4— यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/07/2017 को प्रकरण साक्ष्य लिये जाने हेतु एक आवेदन आ016 नि01 जा0दी0 व धारा 32 म0प्र0भू0रा0 संहिता का प्रस्तुत किया तथा साथ ही अभिभाषक पत्र श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया जो तहसीलदार महोदय द्वारा अभिलेख पर नहीं लिया और प्रकरण बिना तर्क श्रवण किये आदेश हेतु पेशी दिनांक 28/07/2017 नियत कर दी गई है।

5— यह कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि अभिभाषक पत्र अभिलेख पर लिया जावे तथा प्रकरण में आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये जाये और आवेदन पर आदेश हेतु नियत किया जावे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा पुनः आदेश कर प्रकरण आवेदन पत्र पर एवं मूल आवेदन पर आदेश हेतु आर्डर शीट में लिख दिया जब कि मूल आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण ही नहीं किये गये है।

6— यह कि आवेदक द्वारा धारा 32 म0प्र0भू0रा0 संहिता का आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होने से दीवानी न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक III / विविध / मुरैना / भू0रा0 / 2017 / 2401

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 2–8–2017 | आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं सहपत्रों पर विचार किया। आवेदक द्वारा प्रकरण को अंतरित किये जाने हेतु इस न्यायालय में संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जबकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 29(2) के अन्तर्गत अंतरण आवेदन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अंतरण आवेदन निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(एस0एस0 अली)<br>सदस्य | |